उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-26/2025/आई/1120297/2025/10-22099/409/2020
लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2025
कार्यालय-ज्ञाप

अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/02/2024-पी0एण्डपी0डब्लू0(डी0) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उक्त आदेशानुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त ।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त महानिदेशक/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहारादून।
7- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहारादून।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहारादून।
9- समस्त राज्यों के प्रमुख सचिव, वित्त।
10- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in